वकुला[...] [...]

22.8.23 151 CPC का जवाब प्रस्तुत [...] प्रार्थी/अ[...]
संख्या 01 को दी गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.प.
151 CPC दिनांक 28/8/23 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)

28.8.23 वकुलाय फरीकैन उप.। प्रार्थी/अप्रार्थी मुकेशचंद[...]
प्रा.पत्र 151 जा.दी. पर उभय पक्ष को सुना। [...]
प्रार्थी अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने [...]
कथन किया कि वादी प्रार्थी देवेन्द्र कुमार की ओ[...]
न्यायालय के समक्ष एवं वाद स्थाई निषेधाज्ञा मय
प्रा.पत्र 212 RTA आ.ख.नं. 30/1.06 वाके ग्राम-
टूंटाका तहसील नगर की बाबत गलत तथ्यों को
वर्णित करते हुए प्रस्तुत किया तथा दिनांक 17.8.2[...]
को एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर लिया
जिसे प्रार्थी कानूनन प्रक्रिया के तहत परिवर्तित मोडी-
फिकेशन कराने का अधिकारी है। ख.नं. 30/1.06 वाके
टूंटाका की बाबत पक्षकारान के मध्य विभाजन का
दावा आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 06.7.2[...]
को अंतिम डिक्री किया जा चुका है तथा नवीन विभा[...]
नम्बरान 30/1, 30/2, 30/3, 30/4 कायम हो चुके है
तथा वादी/प्रार्थी के पक्ष में ख.नं. 30/2 है जिस[...]
बाबत वह स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का
अधिकारी तो है लेकिन न्यायालय से ख.नं. 30/1.06
के सम्बंधित स्थगन आदेश जारी कराया है जो
कानूनी रूप से त्रुटि है जिसे प्रार्थी/प्रति. मोडीफाई
कराने का अधिकारी है। अतः दिनांक 17.8.23 को जारी

देवेन्द्र कुमार बनाम मुकेशचंद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	/ प्रा०प० 212 सि०प्र० विविध 54/23	
लगातार 28.8.23	अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मोडिफिकेशन किया जावे अथवा खारिज किया जावे। अप्रार्थी / प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि दावा डिक्री होना एवं नवीन खसरा नम्बर निर्मित होना स्वीकार है लेकिन इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड मे नही हुआ है वर्तमान मे सम्पूर्ण रकबा ख० नं० 301/1.06 दर्ज रिकार्ड है। हाल राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद ही न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जो विधि अनुसार उचित है, गैरसायल न्यायालय के आदेश मे क्या दुरुस्त कराना चाहता है दर्ज नही करने से प्रा० पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा विभाजन की डिक्री की पालना होने से पूर्व ही मौके पर बिना तरमीम के निर्माण शुरु कर दिया जिसके कारण प्रार्थी को यह दावा व प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है जिसके बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, यदि गैरसायल को उक्त आदेश से आपत्ति होने की सूरत मे अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु गैरसायल ने जवाब प्रस्तुत नही कर यह प्रार्थना-पत्र गलत तरीके से बिना किसी अनुतोष के पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं० 2073-76 की ग्राम ह०ऊका जो दिनांक 17.8.23 को जारी की	

— RTD.

Lish
उप खण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
लगातार 28.8.23	गई है कि खाता संख्या 80 पर ख०नं० आ० 30/1.06 की बाबत गोपाल प्रसाद पुत्र राजेन्द्र हिस्सा 1/4 देवेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र हिस्सा 1/4, विष्णु कुमार पुत्र राजेन्द्र वैश्य हिस्सा 1/4 जाति वैश्य सा: कस्बा नगर खातेदार तथा मुकेश चंद पुत्र मनोहरी हिस्सा 1/4 जाति खाति सा: कस्बा खातेदार दर्ज होना पाया जाता है जिससे पक्षकारान वि० आ० के सहकाश्तकार होना साबित है। नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.23 के अवलोकन से यह साबित है कि उक्त आ० ख० नं० 30/1.06 वाले रकबा तहसील नगर का विभाजन पक्षकारान के मध्य किया जाकर ख० नं० $\frac{30/2}{0.2650}$ पर वादी देवेन्द्र कुमार को ख० नं० $\frac{30/4}{0.2650}$ पर प्रति० गोपाल प्रसाद को ख० नं० $\frac{30/3}{0.2650}$ पर प्रति० विष्णु कुमार को तथा ख० नं० $\frac{30/1}{0.2650}$ पर प्रति० मुकेश कुमार को पृथक-पृथक खातेदार घोषित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में ख० नं० $\frac{30}{1.06}$ वाले रकबा अस्तित्व में ही नहीं रहा है जिससे उसकी बाबत कोई अनुतोष वादी / प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रा० पत्र धारा 151 जा० दी० स्वीकार किया जाकर दिनांक 17.8.23 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आ० ख० नं० $\frac{30}{1.06}$ वाले रकबा तह० नगर को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। (विष्णु बंसल) उप खण्ड अधिकारी (नगर)